प्रेषिक,

महानिदेशक / अध्यक्ष,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
कार्मिक विभाग, देहरादून।

पत्रॉक:रा0चि0परि0 / 2017 /   दिनॉक: 02.11.2017

विषय : विभाग द्वारा अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नियुक्ति के लगभग 01 वर्ष पश्चात राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय विभागों द्वारा अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण यथा लोक निर्माण विभाग में नियुक्त सहायक अभियंता (लगभग एक वर्ष पश्चात) व वाणिज्यकर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण (लगभग 02 वर्ष पश्चात) कराये जाने हेतु प्रकरण अग्रसारित किये गये। किसी भी कार्मिक का स्वास्थ्य परीक्षण विभिन्न चिकित्सा परिषद द्वारा राजकीय सेवा में योगदान करने से पूर्व ही किया जाता है। राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड के पास ऐसा कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है कि राजकीय कर्मी सेवा में योगदान करने के पश्चात किसी भी समय अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु स्वतंत्र है। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है या शासनादेश निर्गत किया गया है तो उसे राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के स्पष्ट मंतव्य से भी अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि तदनुसार सेवा में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने में एकरूपता रहे व भविष्य में कोई न्यायालय वाद आदि से बचा जा सके।

आप सहमत होगें कि राजकीय सेवा में योगदान के लगभग 01–02 वर्ष पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे स्वास्थ्य परीक्षण की महत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण की गम्भीरता को अनदेखा करता है। राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड की राय में यह प्रक्रिया किसी भी दशा मे उचित नहीं है। भविष्य में राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा सेवा में योगदान के पश्चात (किसी प्रतिकूल स्थिति से बचाव के लिए) स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

2/11/2017
वरिष्ठ आर्थो.सर्जन/सदस्य
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

02-11-17
वरिष्ठ नेत्र सर्जन/सदस्य
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

महानिदेशक/अध्यक्ष
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 6067

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (मुख्यालय), कार्यालय प्रमुख अभियंता व्यवस्थापन "क" वर्ग, लो0नि0वि0, देहरादून को राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या रा0चिकि0परि0/2017/3112 दिनॉक 15.06.2017 व पत्रॉक सीएमओ/रा0चिकि0परि0/2017/2836 दिनॉक 03.06.2017 के क्रम में इस आशय से कि आपके द्वारा आतिथि तक प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में विभाग की कोई राय उपलब्ध नहीं कराई गई है। आपसे इस पत्र के माध्यम से पुनः निवेदन है कि राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र दिनॉक 15.06.2017 पर विभाग का मंतव्य सूचित करने का कष्ट करें। भविषय में नियुक्ति के पश्चात राजकीय कर्मी का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रतिलिपि अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।